

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 47 सन 2020

अनवान :-

1. जसरथ पुत्र नत्थुराम जाति जाट निवासी भगवानसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ ।

वादी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर ।

प्रतिवादी

2. नत्थुराम पुत्र धेउराम जाति जाट निवासी भगवानसर तहसील नोहर ।
3. राजेश पुत्र नत्थुराम जाति जाट निवासी भगवानसर तहसील नोहर

तरतीबी प्रतिवादी

दावा इस्तकरार हक अन्तर्गत धारा 88

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :- श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता वादी

निर्णय दिनांक :- 7/8/2020

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता एक वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया की रोही मौजा भगवानसर के खाता संख्या 85/79 के खसरा न0 162/1 की 3.3260हैक , खसरा न0 326/4.8560हैक , खसरा न0 452/2 की 0.4930 हैक खसरा न0 519/1 की 1.1510हैक खसरा न0 533/7.3980है खसरा न0 680/1 की 1.0950हैक भूमि में मुश्तरका खाता में वादी दशरथ पुत्र नत्थुमरा के नाम से दर्ज है ।

वादग्रस्त भूमि में वादी का नाम दशरथ दर्ज कर रखा है जबकि वादी का सही नाम जसरथ पुत्र नत्थुराम है उच्चारण के कारण सहवन से वादी का नाम गलत तौर से राजस्व रिकार्ड में अंकन है वादी का सही नाम जसरथ पुत्र नत्थुराम है ।

वादी के सभी दस्तावेजात आम आदमी का आधार कार्ड, भारत निर्वाचन आयोग का मतदाता फोटो पहचान पत्र, में वादी का नाम जसरथ दर्ज है प्रस्तुत दस्तावेजात से वादी का सही नाम जसरथ होना प्रतीत होता है वादी ने अपने कथनों/शपथ पत्र के समर्थन में सरपंच ग्राम पंचायत भगवानसर का प्रमाण पत्र भी पेश किया जिसके अनुसार भी वाद का सही नाम जसरथ है इसप्रकार समस्त साक्ष्यों सबुतों के अनुसार वादी का सही नाम जसरथ साबित है वादी राजस्व रिकार्ड में अपना नाम संशोधन करवाने का अधिकारी है ।

वादीया ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई बार निवेदन किया की वादीया नाम राजस्व रिकार्ड में संशोधन कर देवे तो इन्कार हो गये इसलिये वादीया ने यह वाद पेश किया गया है । वादीया का वाद डिक्री फरमाया जावे ।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी /पेरोकार राज को तलब किया गया । पेरोकार न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद के सम्बन्ध में जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए वादी का नाम दुरुस्त किया जाता है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है जबाब शामिल मिसल किया जाकर उभयपक्षों को सुना गया ।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा भगवानसर के खाता संख्या 85/79 के खसरा न0 162/1 की 3.3260हैक , खसरा न0 326/4.8560हैक , खसरा न0 452/2 की 0.4930 हैक खसरा न0 519/1 की 1.1510हैक खसरा न0 533/7.3980है खसरा न0 680/1 की 1.0950हैक भूमि में मुश्तरका खाता में वादी दशरथ पुत्र नत्थुमरा के नाम से दर्ज है ।

वादग्रस्त भूमि में वादी का नाम दशरथ दर्ज कर रखा है जबकि वादी का सही नाम जसरथ पुत्र नत्थुराम है उच्चारण के कारण सहवन से वादी का नाम गलत तौर से राजस्व रिकार्ड में अंकन है वादी का सही नाम जसरथ पुत्र नत्थुराम है ।

(सु)

(राजस्व)

न्यायालय सहायक कलक्टर

वादी के सभी दस्तावेजात आम आदमी का आधार कार्ड, भारत निर्वाचन आयोग का मतदाता फोटो पहचान पत्र, में वादी का नाम जसरथ दर्ज है प्रस्तुत दस्तावेजात से वादी का सही नाम जसरथ होना प्रतीत होता है वादी ने अपने कथनों/शपथ पत्र के समर्थन में सरपंच ग्राम पंचायत भगवानसर का प्रमाण पत्र भी पेश किया जिसके अनुसार भी वाद का सही नाम जसरथ है इसप्रकार समस्त साक्ष्यों सबुतों के अनुसार वादी का सही नाम जसरथ साबित है वादी राजस्व रिकार्ड में अपना नाम संशोधन करवाने का अधिकारी है।

पेरोकार राज ने अपनी बहस में अपने जबाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए वादी का नाम दुरुस्त किया जाता है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है


हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी के अनुसार रोही मौजा भगवानसर के खाता संख्या 85/79 के खसरा न0 162/1 की 3.3260 हैक , खसरा न0 326/4.8560 हैक , खसरा न0 452/2 की 0.4930 हैक खसरा न0 519/1 की 1.1510 हैक खसरा न0 533/7.3980 है खसरा न0 680/1 की 1.0950 हैक भूमि में मुश्तरका खाता में वादी दशरथ पुत्र नत्थुमरा के नाम से दर्ज है।

वादी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात आम आदमी का आधार कार्ड, भारत निर्वाचन आयोग का मतदाता फोटो पहचान पत्र, में वादी का नाम जसरथ दर्ज है वादी का सही नाम जसरथ होने के समर्थन में सरपंच ग्राम पंचायत भगवानसर का प्रमाण पत्र भी पेश किया जिसके अनुसार भी वाद का सही नाम जसरथ पुत्र नत्थुराम है इसप्रकार समस्त साक्ष्यों सबुतों के अनुसार वादी का सही नाम जसरथ होना प्रतीत होता है।

इसप्रकार वादी के राजस्व रिकार्ड एवं प्रस्तुत अन्य दस्तावेजात सरपंच ग्राम पंचायत भगवानसर एवं ग्रामवासीयों के शपथ पत्र के आधार पर वादी का नाम जसरथ होना प्रतीत होता है वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में संशोधन किया जाता है तो राज्य सरकार को किसी प्रकार की हानी नहीं होती बल्की राजस्व रिकार्ड ही संशोधन होता है

वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं सरपंच ग्राम पंचायत भगवानसर के प्रमाण पत्र तथा पेरोकार राज को किसी प्रकार को ऐतराज नहीं होने के कारण वाद वादी स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा भगवानसर के खाता संख्या 85/79 के खसरा न0 162/1 की 3.3260 हैक , खसरा न0 326/4.8560 हैक , खसरा न0 452/2 की 0.4930 हैक खसरा न0 519/1 की 1.1510 हैक खसरा न0 533/7.3980 है खसरा न0 680/1 की 1.0950 हैक भूमि में मुश्तरका खाता में वादी दशरथ पुत्र नत्थुराम के नाम से दर्ज है। भूमि वादी का नाम जसरथ के स्थान पर दशरथ उर्फ जसरथ पुत्र नत्थुराम संशोधन किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेंगे। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 7/8/2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया।


उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6-7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अज अदालत :- सुश्री श्वेता कोचर (आर.ए.एस)

अनवान :-

1. जसरथ पुत्र नत्थुराम जाति जाट निवासी भगवानसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

प्रतिवादी

2. नत्थुराम पुत्र धेउराम जाति जाट निवासी भगवानसर तहसील नोहर।
3. राजेश पुत्र नत्थुराम जाति जाट निवासी भगवानसर तहसील नोहर


तरतीबी प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 47 सन 2018 निर्णय दिनांक- 7/8/2020

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादीयागण एवं परोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्यों के आधार पर वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा भगवानसर के खाता संख्या 85/79 के खसरा न0 162/1 की 3.3260हैक , खसरा न0 326/4.8560हैक , खसरा न0 452/2 की 0.4930 हैक खसरा न0 519/1 की 1.1510हैक खसरा न0 533/7.3980है खसरा न0 680/1 की 1.0950हैक भूमि में मुशतरका खाता में वादी दशरथ पुत्र नत्थुराम के नाम से दर्ज है। भूमि वादी का नाम जसरथ के स्थान पर दशरथ उर्फ जसरथ पुत्र नत्थुराम संशोधन किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 7/8/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।


उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
उप खण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)